E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2021; 3(1): 90-93
Received: 22-11-2020
Accepted: 27-12-2020

शिशिर कुमार पाठक
गवेषक, राजनीति विज्ञान विभाग,
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्याल,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
शिशिर कुमार पाठक
गवेषक, राजनीति विज्ञान विभाग,
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्याल,
दरभंगा, बिहार, भारत

आदर्श ग्रामः ग्राम स्वराज का एक गांधीवादी सपना

शिशिर कुमार पाठक

सारांश
भारत गांवों का देश है, और अगर हम बेहतर मानव विकास के लिए "हैव्स और हैव्स नौट" के बीच अंतर को बंद करना चाहते हैं, तो गांवों के विकास पर ध्यान महत्वपूर्ण होगा। मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 2014 में, भारत समग्र मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) और लिंग विकास सूचकांक (जीडीआई) दोनों के लिए 135 वें स्थान पर है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा "मध्यम मानव विकास" के रूप में वर्गीकृत रेटिंग पर आधारित है। इस पत्र में, ग्राम स्वराज का गांधीवादी दर्शन की संक्षिप्त चर्चा की गई। गाँधीजी ने ग्राम स्वराज को अपनी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। आदर्शहीन लोकतंत्र का आदर्श और भारत में कार्य करने के लिए सच्चा लोकतंत्र चाहता था। यह है राजनीति के क्षेत्रों में सत्य और अहिंसा का व्यावहारिक अवतार। ग्राम स्वराज की अवधारणा केवल राजनीतिक नहीं है; यह जीवन के सभी पहलुओं जिनमे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक हैं, उनको छूता है। यह एक आदर्श अहिंसक सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, जिसमें महत्वपूर्ण मामलों में आत्मनिर्भर और स्व–शासित गाँव स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं जो गांवों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्यशब्दः ग्राम स्वराज; स्टेटलेस लोकतंत्र; आत्मनिर्भर; स्वशासन।

प्रस्तावना
ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य और विकास दोनों में प्रगति के मामले में काफी असमानता है। जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, उनमें ऐसे पॉकेटें बने हुए हैं, जहां आजादी के बाद बहुत कुछ नहीं बदला है। यह असमानता हर गुजरते साल के साथ और भी बिगड़ती जाती है, जबकि स्वास्थ्य असमानता को बिगाड़ने के प्रमुख निर्धारकों में से एक है। भारत में, स्वास्थ्य सेवा के लिए भुगतान गरीबों और यहां तक कि मध्यम वर्ग के लिए दुर्बलता का एक प्रमुख स्रोत बन गया है।[1]
यहां तक कि पूरे भारत में बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 32.7 प्रतिशत ग्रामीण घरों में ही शौचालय है। भारत में दुनिया में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। एक रणनीति और प्रक्रिया को विकसित करने के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जो विभिन्न सामाजिक निर्धारकों को आबादी के मानव विकास को प्रभावित करने, एक प्रतिमान बदलाव करने के लिए संबोधित करता है।[2]
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय गाँवों को सशक्त बनाने और इसे एक मॉडल बनाने के लिए एक समग्र व्यापक टिकाऊ दृष्टिकोण – "आदर्श ग्राम योजना" की घोषणा की। उन्होंने संसद सदस्य (सांसद) से अपनी पसंद के एक गांव को अपनाने का आग्रह किया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, आजीविका, और मानव विकास के सामाजिक पहलुओं के सभी हस्तक्षेप शामिल होने चाहिए। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2014 को, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "स्वच्छ भारत अभियान" की शुरुआत की। इन मिशनों को व्यावहारिक रूप से ग्रामीण भारतीय आबादी की बेहतरी के लिए काम करने और एक आदर्श गाँव के गांधीवादी सपने को साकार करने के लिए जोड़ा जा सकता है।

ग्राम विकास का गांधीवादी संकल्पना
स्वराज शब्द एक पवित्र शब्द है, जो एक वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ स्व–शासन और आत्म–संयम है, और सभी संयम से स्वतंत्रता नहीं है जो "स्वतंत्रता" का अर्थ अक्सर होता है। असली स्वराज कुछ के द्वारा प्राधिकरण के अधिग्रहण से नहीं बल्कि सभी के द्वारा क्षमता के अधिग्रहण से अधिकार का विरोध करने के लिए आएगा जब इसका दुरुपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, स्वराज के प्राधिकरण को विनियमित करने और नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के बारे में जनता को सशक्त बनाने के लिए प्राप्त किया जाना है। आदर्श गाँव या गाँव स्वराज की गांधीवादी दृष्टि यह है कि यह एक पूर्ण गणतंत्र है, जो अपने पड़ोसियों के लिए अपनी इच्छा से स्वतंत्र है और फिर भी कई अन्य लोगों के लिए अन्योन्याश्रित है जिसमें निर्भरता आवश्यक है।[3]

गांधीजी के अनुसार, आदर्श गांव बहुत सरल है, उनके अनुसार, एक आदर्श भारतीय गाँव का निर्माण किया जाएगा ताकि वह खुद को परिपूर्ण स्वच्छता के लिए अपना सके। इसमें पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन के साथ कॉटेज होंगे जो कि पांच मील के दायरे में प्राप्त होने वाली सामग्री से बने होंगे। कॉटेज में घर के उपयोग के लिए और अपने मवेशियों के घर के लिए सब्जियां लगाने के लिए घरवालों को सक्षम करने वाले आंगन होंगे। गाँव की गलियाँ धूल से मुक्त होंगी। इसकी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें कुएँ होंगे और सभी के लिए सुलभ होगा। इसमें सभी के लिए पूजा के घर होंगे, एक आम सभा स्थल, अपने मवेशियों को चराने के लिए एक गांव, एक सहकारी डेयरी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, जिसमें औद्योगिक शिक्षा केंद्रीय तथ्य होगी, और इसमें बसने के लिए पंचायतें होंगी। यह अपने अनाज, सब्जियां और फल, और अपनी खादी का उत्पादन करेगा। यह मोटे तौर पर एक आदर्श गांव के बारे में मेरा विचार है ... मुझे विश्वास है कि ग्रामीणों को, बुद्धिमान मार्गदर्शन में, गाँव की आय को व्यक्तिगत आय से अलग किया जा सकता है। हमारे गांवों के अटूट संसाधन हर मामले में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से लगभग हर मामले में स्थानीय उद्देश्यों के लिए हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ग्रामीणों की निराशाजनक अनिच्छा से उनको बहुत कुछ बेहतर करना है। मेरे आदर्श गाँव में बुद्धिमान मनुष्य होंगे। वे जानवरों की तरह गंदगी और अंधेरे में नहीं रहेंगे। पुरुष और महिलाएं स्वतंत्र होंगे और दुनिया में किसी के भी खिलाफ अपनी पकड़ बना सकेंगे।

जैसा कि गांधीजी ने खुद कहा था, "मुझे पता है कि आदर्श गाँव को आकार देने का काम उतना ही कठिन है जितना कि भारत को एक आदर्श देश बनाना ... लेकिन अगर कोई एक आदर्श गाँव का निर्माण कर सकता है, तो उसने न केवल एक पैटर्न प्रदान किया है पूरा देश बल्कि शायद पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। इससे अधिक साधक की इच्छा नहीं हो सकती है। "[4]

ग्राम पंचायत की भूमिका

गांधीजी ने यह बहुत स्पष्ट किया कि आर्थिक या राजनीतिक शक्ति की एकाग्रता भागीदारी लोकतंत्र के सभी आवश्यक सिद्धांतों का उल्लंघन करेगी। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, गांधीजी ने ग्राम गणराज्य की संस्था को समानांतर राजनीति की संस्थाओं और आर्थिक स्वायत्तता की इकाइयों के रूप में सुझाया। गाँव एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली की सबसे निचली इकाई होने के नाते, राजनीतिक रूप से एक गाँव इतना छोटा होना चाहिए कि वह सभी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने की अनुमति दे सके। यह सहभागी लोकतंत्र की मूल संस्था है।

पंचायत राज सुशासन की एक प्रणाली और प्रक्रिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने पारदर्शी तरीके से गांवों के नियोजित आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभा को एक जीवंत मंच बनाने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह गरीबों, महिलाओं सहित सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है, और ग्राम पंचायत के प्रस्तावों पर चर्चा करने और आलोचना करने, अनुमोदन करने या अस्वीकार करने के लिए हाशिए पर है और इसके प्रदर्शन का आकलन भी करता है।

महात्मा गांधी के अनुसार, स्थानीय संसाधनों का उपयोग पंचायती राज प्रणाली के विकास के लिए काफी मौलिक है। ग्राम सभाओं वाली पंचायतों को संगठित किया जाना चाहिए ताकि कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की पहचान की जा सके।[5] न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले वयस्क ग्रामीणों, पुरुष और महिला द्वारा प्रतिवर्ष चुनी गई ग्राम पंचायत, गाँव की सरकार का संचालन करेगी।

गाँधीजी ने गाँव के श्रमिकों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित नियम प्रस्तावित किए: [6]

1. एक पंचायत को पहली बार एक सार्वजनिक सभा द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए,
2. तहसील समिति द्वारा इसकी सिफारिश की जानी चाहिए;
3. ऐसी पंचायत का कोई आपराधिक क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिए;
4. यह सिविल मुकदमों की कोशिश कर सकता है यदि पक्षकार उन्हें अपने विवादों को पंचायत में संदर्भित करते हैं;
5. पंचायत को किसी भी मामले को संदर्भित करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए;
6. किसी भी पंचायत के पास जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उसके नागरिक के पीछे एकमात्र अनुमोदन उसके नैतिक अधिकार, सख्त निष्पक्षता और संबंधित पक्षों की इच्छा का पालन करने का फरमान है;
7. समय के लिए कोई सामाजिक या अन्य बहिष्कार नहीं होना चाहिए;
8. प्रत्येक पंचायत से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने गाँव के लड़कों और लड़कियों की शिक्षा, गाँव के कुँओं या तालाबों की स्वच्छता, चिकित्सा आवश्यकताओं, रखरखाव और स्वच्छता तथा वंचितों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करे।

ग्राम स्वराज और पंचायती राज प्रणाली के गांधीवादी विचार निर्णय लेने और सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए बहुत जरूरी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए वाहन बन सकते हैं। जैसा कि गांधी ने कहा, "पंचायती राज वास्तविक लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है।" इसलिए, उन लोगों की ओर से ठोस, व्यवस्थित और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, जिनके लिए ग्राम स्वराज पोषित रहता है।

स्वास्थ्य पर परियोजनाओं का मुख्य जोर स्वास्थ्य हस्तक्षेप था – KHOJ स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य और राहत शिविरों में उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करना। KHOJ में, स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान देने के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर विचार किया गया था। मलेरिया, डायरिया और खसरा जैसे विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दे जो मृत्यु दर और रुग्णता दोनों का कारण थे, उनपर गौर किया गया। उपचारात्मक स्वास्थ्य के अलावा, जरूरत आधारित क्षेत्र विशिष्ट संचार रणनीति विकसित करने के लिए स्वास्थ्य संवर्धन पर जोर दिया गया।

सामुदायिक विकास के संबंध में, KHOJ का मुख्य सिद्धांत यह था कि सामुदायिक विकास से स्वास्थ्य के मुद्दों को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग शामिल था। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन पर भी फोकस था जो बैंकों से जुड़े थे और आय सृजन गतिविधि शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। KHOJ के हस्तक्षेप के बाद, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई, औरतों की प्रतिशत मृत्यु दर बढ़ गई और इसलिए पारंपरिक जन्म परिचर (TBA), स्थानीय पंचायतों द्वारा संचालित प्रसवों की संख्या भी मजबूत हुई और टिकाऊ आय पीढ़ी के कार्यक्रमों को लागू किया।[7]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का सामुदायिककरण और ग्राम विकास में ग्राम स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता समिति की भूमिका

NRHM सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में स्वामित्व विकसित करने के लिए सार्वजनिक, स्वास्थ्य कर्मचारियों और स्थानीय

समुदायों दोनों को सक्षम करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के "सामुदायिककरण" की परिकल्पना करता है। सांप्रदायिकता की प्रक्रिया को समान, सस्ती, और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच में मदद करने की उम्मीद है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है।

सांप्रदायिकरण के लिए NRHM के दृष्टिकोणों में से एक VHNSC का गठन है। समिति से उम्मीद की जाती है कि वह ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य और सामाजिक निर्धारकों से संबंधित मुद्दों पर सामूहिक रूप से काम करेगी। VHNSC को विशेष रूप से NRHM के तहत "सामुदायिक कार्रवाई" के रूप में परिकल्पित स्वास्थ्य योजना की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए परिकल्पित किया गया है। इसलिए, समिति को स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने और समुदाय आधारित योजना और निगरानी के लिए एक तंत्र के रूप में काम करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने की कल्पना की गई है। समिति ग्राम पंचायत की समग्र देखरेख में कार्य करती है।

समिति प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर बनाई गई है और इसमें पंचायत के निर्वाचित सदस्य, सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रतिनिधियों के साथ न्यूनतम 15 सदस्य होने चाहिए।

NRHM के तहत VHNSC के उद्देश्य इस प्रकार हैं: [8]

- स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी पहलों के बारे में सूचित करने के लिए समुदाय के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना और इन कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में भाग लेना, जिससे बेहतर परिणाम सामने आए।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक निर्धारकों और सभी सार्वजनिक सेवाओं पर अभिसरण कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करना।
- समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के साथ स्वास्थ्य आवश्यकताओं, अनुभवों और मुद्दों को आवाज़ देने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए, ताकि स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के संस्थान उचित रूप से ध्यान दें और जवाब दे सकें।
- पंचायतों को स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के संचालन में उनकी भूमिका निभाने और गाँव में बेहतर स्वास्थ्य स्थिति की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए उनके नेतृत्व में समुदायों को सक्षम करने के लिए उनके लिए आवश्यक समझ और तंत्र के साथ सशक्त बनाना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए – आशा और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जिन्हें समुदाय के साथ इंटरफेस करना है और सेवाएं प्रदान करना है।

NRHM के तहत VHNSC को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और उनकी प्रस्तावित भूमिका को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण आवश्यक है। वीएचएनएससी के इस मंच का उपयोग ग्राम विकास समिति को परिवर्तित करके किया जाना चाहिए जो कि गाँव के समेकित विकास के लिए ग्राम पंचायत के हाथ का काम करे।

समुदाय, सरकारी और अन्य विकासात्मक एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी लिंकेज के माध्यम से अपने सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ाकर ग्रामीणों के बीच लाभार्थियों के जीवन में एक समग्र परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वीएचएनएससी उर्फ ग्राम विकास समिति को स्थानीय संगठनों / एजेंसियों के तकनीकी मार्गदर्शन के साथ एक एकीकृत ग्राम विकास योजना तैयार करनी चाहिए।

समुदाय आधारित संगठन गांवों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, समुदायों को प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अंतिम लक्ष्य समुदायों के लिए स्थायी और न्यायसंगत विकास के लिए उपयुक्त विकल्पों की एक सीमा से सूचित विकल्प बनाने के लिए आत्मविश्वास और क्षमता है।

प्रस्तावित प्रभावी उपाय

भौतिक मूलढ़ांचा

- सभी निवासियों के पास पर्याप्त आवास होना चाहिए, और कोई बेघर परिवार नहीं होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि गाँव के पास ऑल–वेदर रोड द्वारा निकटतम प्रमुख सड़क के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है।
- स्थायी आधार पर सभी घरों के सुरक्षित पेयजल तक पहुंच।
- सभी घरों का विद्युतीकरण।
- गांव में स्वच्छ आंतरिक सड़कें, और पर्याप्त सड़क प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए।
- गाँव में ई–चौपाल के रूप में पर्याप्त संचार सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे डाकघर, टेलीफोन और इंटरनेट का उपयोग।
- उचित मूल्य की दुकान और सामुदायिक फार्मेसी हो।
- ग्राम सभाओं के लिए सामुदायिक हॉल के प्रावधान के साथ एक पंचायत घर या पंचायत कार्यालय हो।
- पक्की कवर नालियों वाली पक्की सड़कें हों।
- *स्वच्छता और पर्यावरण*
- गाँव में स्वच्छता का एक उच्च स्तर होना चाहिए – कोई खुले क्षेत्र में शौच नहीं; सभी घरों में सेनेटरी शौचालय होना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। नालियों को चोक नहीं किया जाना चाहिए और एक कुशल कचरा निपटान प्रणाली व्यवस्था हो। गांव को "निर्मल ग्राम पुरस्कार" मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
- ग्रामीणों को पेड़ लगाने, जल संचयन और जल निकायों के रखरखाव, एलपीजी या धुआं रहित चूल्हों का उपयोग करके अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- सौर गैस या बायोगैस जैसी ऊर्जा बचत विधियों को अपनाना।
- स्वास्थ्य और समग्र मानव संसाधन विकास
- एक आंगनवाड़ी केंद्र और उचित स्तर के स्कूल होने चाहिए।
- गांव में अपने आंगनवाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत और सामुदायिक हॉल के लिए एक भवन होना चाहिए।
- गांव में खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को दाखिला दिया जाए और नियमित रूप से आंगनवाड़ी में भाग लिया जाए। इसी तरह, 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में नियमित रूप से दाखिला लेना चाहिए।
- सभी वयस्कों को कम – से – कम कार्यात्मक साक्षर होना चाहिए, और निरंतर शिक्षा के लिए सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए।
- सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) माताओं के लिए उचित प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल, 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण और छोटे परिवार के आदर्श का पालन के लिए प्रवेश।

- गांव को अपनी महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि समुदाय के भीतर संबंध मजबूत हो सकें।
- गहन जागरूकता अभियानों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थों का सार्वजनिक उपभोग नहीं होना चाहिए, और सामान्य रूप से उनके उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- एक सक्रिय ग्राम सभा / ग्राम पंचायत, महिला स्व–सहायता समूह / महिलामंडल और युवा क्लब के लिए गांव को सुनिश्चित करना और मजबूत करना।

निष्कर्ष

ग्राम स्वराज का गांधीवादी आदर्श 2 अक्टूबर, 1959 को बलवंतराय मेहता अध्ययन दल की सिफारिश पर पंचायत राज के कार्यान्वयन के छह दशक बाद भी अधूरा एजेंडा बना हुआ है। 1994 में विभिन्न राज्यों में 73 वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। इसलिए, ठोस, व्यवस्थित और उन लोगों की ओर से निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है जिनके लिए ग्राम स्वराज लोगों के सशक्तीकरण और भारत के राष्ट्रीय विकास को एक सहभागी लोकतंत्र बनाने के लिए एक पोषित सपना बना हुआ है। यदि सतत् विकास सुनिश्चित करना है और ग्राम स्वराज के गांधीवादी सपने को साकार करना है तो समुदाय और घर की क्षमता का निर्माण महत्वपूर्ण होगा।

संदर्भ

1. एचडीआरओ (मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, न्यूयॉर्क, यूएसएः 2014. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)। "2014 की मानव विकास रिपोर्ट –" मानव प्रगति को बनाए रखनाः कमजोरियों को कम करना और निर्माण की लचीलापन।
2. भारत की जनगणना 2011, नई दिल्लीः भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त; 2011।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः 2014. अक्टूबर, भारत, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार। सासंद आदर्श ग्राम योजना दिशानिर्देश।
4. ग्राम स्वराज, लिखितः गांधी एम.के., संकलितः व्यास एच.एम. भारतः नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद; 2015, पृ. 71
5. गाँधीजी गाँव पर, संकलितः दिव्य जोशी मुंबईः मणि भवन गांधी संग्रहालय; 2013, पृ. 43
6. पंचायत राज, लिखितः गांधी एम.के., संकलितः प्रभु आर.के. भारतः नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद; 2016, पृ. 83
7. स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन ऑफ इंडिया "आदर्श ग्राम" पर चर्चा पत्र। नई दिल्लीः स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित; 2014. पृ. 5–6।
8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः 2013. भारत। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति के लिए दिशानिर्देश, सामुदायिक प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश।